


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13.02.2019 द्वारा क्रम संख्या 193 पर अंकित कार्मिक श्री प्रतापसिंह राव व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि मालमाथा, बिछीवाड़ा, जिला-डूंगरपुर का सेवानिवृति आदेश जारी किया गया था।


उक्त आदेश में कार्मिक श्री प्रतापसिंह राव के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-17 के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2018 को ज्ञापन जारी होने के कारण विभागीय जांच बकाया रखते हुए सेवानिवृति आदेश जारी किया गया था, में विभागीय जांच ने विभाग के आदेश क्रमांक :-शिविरा/माध्य/वि0 जॉच/सी/11420/228/16-17/2017/09 दिनांक : 23.01.2019 द्वारा समाप्त (DROP) कर दिये जाने के कारण कार्मिक के सेवानिवृति आदेश दिनांक 13.02.2019 में कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।
शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज विज्ञान/सेवानिवृति/2017/126 दिनांक 21/02/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
- 2 उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग.....
- 3 संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 5 संबंधित प्रधानाचार्य
- 6 संबंधित कार्मिक श्री प्रतापसिंह राव व्याख्याता राजनीति विज्ञान।
- 7 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर